251

संख्याः /XX(3)/2016–11(129)2016

प्रेषक,

शत्रुघ्न सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. **अपर मुख्य सचिव,**
   पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. **प्रमुख सचिव/सचिव,**
   गृह/अभियोजन विभाग, लोक निर्माण विभाग,
   ग्राम्य विकास विभाग, शहरी विकास विभाग, सूचना विभाग,
   उत्तराखण्ड शासन।
3. **पुलिस महानिदेशक,**
   उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. **मण्डलायुक्त,**
   कुमायूं/गढ़वाल।
5. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उत्तराखण्ड।

गृह अनुभाग–03 देहरादूनः दिनांकः // नवम्बर, 2016

विषयः–पशु अधिकारों के संरक्षण एवं सामान्य नागरिकों में तत्सम्बन्धी जागरूकता तथा आवारा पशुओं के यथोचित प्रबन्धन हेतु मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के आदेश दिनांक 27.10.2016 का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद देहरादून के पुलिस थाना लक्खीबाग में दर्ज केस काईम संख्याः 283/2016 मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, देहरादून द्वारा दिये गये आदेश दिनांक 18.10.2016 के विरूद्ध वादी सुश्री पूजा बहुखण्डी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल के समक्ष क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन (CrPC की धारा 482 के अंतर्गत) नं0 1526/2016 पूजा बहुखण्डी बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य दायर किया गया।

2– उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.10.2016 में जानवरों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा एवं सामान्य नागरिकों द्वारा इनके अधिकारों की रक्षा किये जाने हेतु संविधान के सुसंगत प्राविधानों एवं पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की सुसंगत धाराओं तथा Transport of Animals Rules, 1978 में किये गये प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न सम्बन्धित निकायों/प्राधिकारियों हेतु कार्यवाही किये जाने हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जो निम्नवत् हैंः–

1. **पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड के स्तर से अपेक्षित कार्यवाहीः–**

(1) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा पुलिस विभाग को यह निर्देश निर्गत किया जाय कि जानवरों का परिवहन के संदर्भ में Transport of Animals Rules, 1978 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित हो और ऐसे परिवाहक (Transporter), जो जानवरों का परिवहन करते समय उक्त नियमों का उल्लंघन करते हैं, के विरूद्ध

पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के विभिन्न प्राविधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जाय।

(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड को यह भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि सभी प्रवेश एवं निकास स्थानों पर जानवरों के सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में Transport of Animals Rules, 1978 का उल्लघंन न होना सुनिश्चित करें।

2. **अभियोजन विभाग के स्तर से अपेक्षित कार्यवाहीः–**

जानवरों के मालिक, जिनके जानवर गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर पाये जाते हैं, के विरूद्ध आई.पी.सी. की धारा 289, 428 और 429 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के विभिन्न प्राविधानों के अंतर्गत अभियोजन दायर किया जाय।

3. **अधीक्षण अभियन्ता राष्ट्रीय/प्रादेशिक राजमार्ग, केन्दीय/राज्य, लोक निर्माण के स्तर से अपेक्षित कार्यवाहीः–**

राज्य में पडने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रादेशिक राजमार्गों से सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ताओं को यह व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि कोई भी आवारा पशु (गायों और सांड़ों सहित) मार्ग पर न आ सकें।

4. **शहरी विकास विभाग, समस्त नगर आयुक्तों, शहरी निकायों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत के प्रधानों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाहीः–**

(1) नगर आयुक्तों, सभी शहरी निकायों व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों और ग्राम पंचायतों के प्रधानों को यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाता है कि मार्गों पर यातायात के सुचारू रूप से चलने हेतु उनके अधिकारिता क्षेत्र में पडने वाले सभी मार्गों को आवारा पशुओं से मुक्त रखा जाए।

(2) सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और पंचायतों द्वारा सभी पशुओं (गायों सहित) को उनके मालिकों की खोज करने हेतु उनके मालिकों को इंगित करने वाला एक टैग नम्बर दिया जाय।

5. **समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जिला पशुधन अधिकारी/चिकित्साधिकारियों के द्वारा गठित जनपद स्तरीय समन्वय समितियों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाहीः–**

उत्तराखण्ड राज्य के सभी मार्गों को दिनांक 31.12.2016 तक आवारा पशुओं से मुक्त किये जाने के निर्देश दिये जाते है। उक्त के अतिरिक्त प्रतिवादीगणों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवारा पशुओं को हटाये जाने के लिए उनपर अत्यधिक दयाभाव (Utmost compassion) प्रदर्शित किया जायेगा और उनपर अनावश्यक बल प्रयोग कर दर्द और यातना नहीं दी जायेगी। यदि जानवरों का परिवहन किया जाता है, तो उस स्थिति में एक रैम्प के निर्माण का प्राविधान किया जाय और जानवरों, जिनका परिवहन किया जा रहा है, को चोट से बचाने के लिए वाहनों की गति 10–15 कि0मी0 प्रति घंटा से अधिक न रखी जाय।

6. **राजकीय पशु अधिकारियों/पशु चिकित्सकों तथा नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों और सभी ग्राम पंचायतों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाहीः–**

राज्य के समस्त राजकीय पशु अधिकारियों/चिकित्सकों को सभी आवारा पशुओं के उपचार करने हेतु निर्देशित किया जाता है। नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों और सभी ग्राम पंचायतों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि अपने अधिकारिता क्षेत्र में आने वाले समस्त आवारा पशुओं, जो घाव या बीमारी से पीड़ित हों, का पशु चिकित्सालयों में उपचार कराया जाय। राज्य के सभी पशु चिकित्सालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि जब भी गाय या जानवर उनके समक्ष लाये जायें, उन्हें यथोचित चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराया जाय। किसी भी राजकीय पशु अधिकारी/चिकित्सक द्वारा प्राधिकारियों या किसी प्रबुद्ध नागरिक द्वारा इलाज के लिए उनके समक्ष आवारा पशु लाये जाने पर इन्कार नहीं किया जायेगा। किसी भी नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के पशु अधिकारी/चिकित्सक के संज्ञान में किसी बीमारी अथवा घाव से पीड़ित गाय या आवारा पशु के इलाज हेतु उसकी स्थिति (location) को संज्ञान में लाये। इस सम्बन्ध में नियमित रूप से पशु अधिकारियों द्वारा पंजिका भी अनुरक्षित की जायेगी।

7. <u>सचिव/महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाक के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही:–</u>
राज्य सरकार को यह निर्देशित किया जाता है कि वह 02 सप्ताह के भीतर राज्य के प्रमुख अंग्रेजी एवं स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना (Public notice) निर्गत करते हुए राज्य भर के नागरिकों को पशु अधिकारों एवं उनके कल्याण के सम्बन्ध में जागरूक करें।

8. <u>समस्त स्थानीय निकायों एवं प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास/शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही:–</u>
समस्त स्थानीय निकायों (नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और 10 ग्राम पंचायतों के समूह सहित) को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश निर्गत होने के 06 माह के भीतर अपने सम्बन्धित अधिकारिता क्षेत्रों में, गौशाला/गौसदन या गायों और आवारा पशुओं के लिए shelter (शरणगृहों) का निर्माण करें। गौाालाओं/गौसदनों या शरणगृहों का निर्माण उनके रखे जाने वाले जानवरों के आराम को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर किया जाय। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा सभी स्थानीय निकायों को युक्तियुक्त समय के भीतर आवश्यक अनुदान (funds) अवमुक्त किया जायेगा। इनमें रखे जाने वाले जानवरों के लिए उचित भोजन दिये जाने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकारियों का होगा। सम्बन्धित पक्षकार इसके लिए मठों और धार्मिक डेरों से दान प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

9. <u>समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/जिला पशुधन अधिकारी/चिकित्साधिकारियों के स्तर से अपेक्षित कार्यवाही:–</u>
प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं राजकीय पशु अधिकारियों/चिकित्सकों की एक समन्वय समिति गठित की जायेगी। यह समिति आवारा पशुओं के भय को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी।

3– मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों को लागू किये जाने हेतु दिये गये निर्देश के कम में इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर यथेष्ट समयबद्ध कार्यवाही करते हुए इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ

अधिकारियों को भी अपने स्तर से यथोचित आदेश निर्गत करने का कष्ट करें और तद्विषयक अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से प्राथमिकता के आधार पर 02 सप्ताह के भीतर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव

संख्याः 1980 /XX(3)/2016–11(129)2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग (उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत)।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, प्रादेशिक राजमार्ग (उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत)।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड।
6. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तराखण्ड।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(डॉ0 उमाकांत पंवार)
प्रमुख सचिव।